

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज0)

क्रमांक:- एसडीएम/ अभियान/2018/ 778

दिनांक:- 02/07/2018

:: आदेश ::

पृष्ठ 711/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" वर्धना पत्र एवं तहसीलदार, डूंगरपुर की रिपोर्ट एवं अनुसंधान के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम त्रिरी पटवारी मंडल, जोतवापुर तहसील एवं जिला डूंगरपुर की जनाबंदी संवत् 2070-73 में खाता संख्या 50 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	त्रिरी	50	शुभा. रामजी, मीना सुखचंद सतडा माउवा चम्पा शान्ता श्री नानाजी बही बेवा नानाजी वी शजिमा श्री कडुवा देवती जमकु चकती इल्ली श्री कडुवा वी करण बेवा कडुवा मीणा सा. देई रि.व. खातेवा	शुभा, रामजी, मीना सुखचंद सतडा काउवा चम्पा शान्ता श्री नानाजी बही बेवा नानाजी वी शजिमा श्री कडुवा देवती जमकु चकती इल्ली श्री कडुवा वी करण बेवा कडुवा मीणा सा. देई रि.व. खातेवा

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर

दिनांक:- 02/07/2018

क्रमांक-सम/778

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं फलवार्थ -

- 1- तहसीलदार, डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जा कर नज्म रिपोर्ट भिजाये।
- 2- प्रार्थी श्री मंगू, श्री नानाजी
- 3- पटवारी हल्का जोतवापुर

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर